

प्रतिवेद्य

समक्ष : उच्चतम न्यायालय भारत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

दांडिक अपील क्रमांक 1980 / 2008

आशीष जैन

अपीलार्थी

विरुद्ध

मकरंद सिंह और अन्य

प्रत्यर्थीगण

सहित

दांडिक अपील क्रमांक 1981 / 2008

मध्यप्रदेश राज्य

अपीलार्थी

विरुद्ध

मकरंद सिंह और अन्य

प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री मोहन एम. शांतनागोदर

- 1 यह अपीलें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर द्वारा मृत्यु निर्देश (डेथ रिफरेंस) क्रमांक 1 / 2004 एवं आपराधिक अपील क्रमांक 312 / 2004 में पारित निर्णयों से उद्भूत हुई हैं। आक्षेपित निर्णयों द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त प्रत्यर्थीगण मकरंद सिंह,

राजबहादुर सिंह एवं श्यामसुन्दर को भारतीय दंड विधान (संक्षेप में भा.दं.वि) की धाराओं 302 सहपठित धारा 34, 394 सहपठित धारा 34 एवं 449, एवं मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम (संक्षेप में मप्रडव्यप्रक्षेअ) की धारा 11 सहपठित 13 के अधीन दंडनीय अपराधों से एवं इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी मकरंद सिंह को तीन लोगों यथा – प्रेमचंद जैन, उसकी पत्नि आनंदी देवी एवं अविवाहित पुत्री प्रीति की मृत्यु कारित करने के लिये एवं रुपये 30000/- नगद एवं लगभग 8,00,000/- रुपये मूल्य के सोने एवं चाँदी की डकैती करने के लिये आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(b)(a) सहपठित धारा 27 एवं मप्रडव्यप्रक्षेअ की धारा 11 एवं 13 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया है ।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार दोहराया जा रहा है कि:-

मृतक प्रेमचंद जैन साहूकारी के व्यवसाय में था तथा सोने एवं चाँदी के जेवरों को गिरवी रखता था । घटना 4 एवं 5 जनवरी 2003 की दरम्यानी रात को तब घटित हुई जब उपरोक्त अभियुक्तगण मृतक के घर में विद्युत मरम्मत करने के बहाने प्रविष्ट हुए एवं हत्या व डकैती कारित की । अपराध कारित करने के पश्चात् उन्होंने घर को बाहर से ताला लगाया और भाग गये ।

3. दांडिक अपील क्रमांक 1980 / 2008 का अपीलार्थी आशीष जैन (अ.सा.26) परिवादी है, जो मृतक प्रेमचंद का भतीजा है । दिनांक 05.1.2003 को घर के बाहर ताला पाकर शक होने से उसने रिश्तेदारों से परिवार के बारे में पूछा, किन्तु कोई लाभ न हुआ । अतः दिन के अंत में रात के लगभग 09:45 बजे उसने घर के बाहर संदिग्ध रूप से ताला लगे होने के बारे में पुलिस थाने में सूचना दी । पुलिस घर पहुंची, ताला तोड़ कर खोला और सभी तीनों निवासियों को घर के तीसरे तल पर मृत पड़ा पाया । मृतकों के शरीर में कई चोटें देखी गईं, और कुछ विद्युत उपकरण (जैसे तार एवं एक पेंचकस) घर के अंदर पड़े हुये थे । वह तिजोरी जिसमें मृतक प्रेमचंद गिरवी रखे गये सोने चाँदी के गहने एवं नगदी रखा करता था टूटी एवं खुली पाई गयी जिसमें से चीजें गायब थीं । अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्तगण, जो कि विद्युत कारीगर थे, और जो मृतक के घर में नियमित रूप से मरम्मत का कार्य किया करते थे, ने उक्त अपराध कारित किया था । प्रथम सूचना प्रतिवेदन (देहाती नालिसी) प्रदर्श पी 5 आशीष जैन द्वारा दर्ज कराई गई, जिसने अ.सा.26 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया । उसके बाद यह प्रथम सूचना तुरंत ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.6 के रूप में दर्ज की गई । उचित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् एवं अन्वेषण पर, अभियुक्तगणों को अगली सुबह गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त व्यक्तियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से सोने एवं चाँदी के लूटे हुए जेवर, नगदी, रक्त के धब्बे लगे हुए कपड़े, एवं कुछ विद्युत उपकरण जैसे सूजा एवं छेनी, जिन्हे अपराध के हथियार कहा गया, बरामद किये गये । मकरंद सिंह अभियुक्त क्रमांक 1 की

निशानदेही पर, अपराध कारित करने के पश्चात् घर पर बाहर से ताला लगाने में प्रयुक्त चाबी भी एक खेत से जब्त की गई । लूटे हुए जेवरों को उन जेवरों का होना कहा गया जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मृतक द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के भाग के रूप में गिरवी रखे गये थे । नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दंडाधिकारी ने लूटे हुए जेवरों की शिनाख्तगी गिरवीकर्ताओं द्वारा करवाई, जिन्होंने उन जेवरों को पहचाना जो उनसे संबंधित थे ।

4. विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित करने एवं साक्ष्य का परिशीलन करने पर अभियुक्त व्यक्तियों को उक्त अपराधों का दोषी पाया, और उन्हें मृत्युदंड से दण्डित किया ।
5. उच्च न्यायालय के समक्ष मृत्युदंड हेतु निर्देश (रिफरेन्स) एवं अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गई । दोनों को युगलपीठ द्वारा सुना गया; हांलाकि, विद्वान न्यायाधीशगण एक मत पर नहीं पहुँच सके और उनके मतों में अंतर था । एक विद्वान न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के पक्ष में थे एवं एक अन्य विद्वान न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के निर्णय के प्रति सहमति जताई । अतः, प्रकरण तीसरे विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुना गया, एवं चूंकि उसका निष्कर्ष दोषमुक्ति के अनुरूप था, अतः उच्च न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से अभियुक्त व्यक्तियों को उनके विरुद्ध लगे समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया ।
6. अपने अंतःकरण को संतुष्ट करने के लिये हमने सम्पूर्ण साक्ष्यों का पुनः परिशीलन किया । प्रकरण मुख्यतः आशीष जैन अ. सा. 26, जो कि परिवादी है, कैलाशचन्द्र अ. सा. 12, अंतिम बार देखा गया गवाह, एवं विनोद कुमार जैन अ. सा. 20, अंतिम बार देखा गया एक अन्य गवाह के बयानों एवं अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद की गई वस्तुओं जैसे चुरायी गई सामग्री, रक्त के धब्बे लगे हथियार एवं रक्त के धब्बे लगे अभियुक्त के कपड़ों की जब्ती किये जाने के इर्द गिर्द घूमता है ।
7. अ. सा. 26 ने कहा है कि वह मृतक प्रेमचंद का भतिजा है एवं वह अक्सर मृतक के घर जाता था, यद्यपि वह एक अन्य घर में रहता था । कभी कभी वह मृतक प्रेमचंद के व्यवसाय में उसकी मदद किया करता था । 5 जनवरी की सुबह उसने अपने चाचा के घर जाने की योजना बनाई किन्तु घर बाहर से बंद था । उसने अनुमान लगाया कि उसकी मृतक चाची, प्रेमचंद की पत्नि अस्वस्थ थी, इसलिये उनका परिवार उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु ले गया होगा । जिस पर उसने उनके रिश्तेदारों से प्रेमचंद के बारे में पूछताछ की, किन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । रात हुई, और आशीष जैन अ. सा. 26 ने कुछ अन्य लोगों के साथ इन संदेहास्पद परिस्थितियों के बारे में पुलिस थाना, सिटी कोतवाली, भिंड में रिपोर्ट दर्ज की । पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, ताला तोड़ कर खोला एवं उन्होंने घर के अंदर शवों के साथ तिजोरी से गहने एवं नगदी का चोरी होना पाया । घटना स्थल पर अ. सा. 26 ने रसोई में

चाय के गिलासों को, एवं घर के चारों तरफ कुछ विद्युत उपकरणों को पड़े हुए देखा । उसने आगे यह कहा कि कैलाशचंद्र अ. सा. 12, जो कि पड़ोस का दुकानदार एवं रिश्तेदार था, ने कहा था कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को बीती शाम को लगभग 06:00—06:30 बजे मृतक के घर में बिजली के उपकरणों के थैले के साथ प्रवेश करते हुए देखा था । विनोद कुमार जैन अ. सा. 20 ने भी उसे सूचित किया था कि उसने रात 09:00.—09:30 के बीच अभियुक्त व्यक्तियों को उक्त घर से बाहर आते हुए एवं तेजी से धन्वन्ती बाई धर्मशाला की ओर दो थैलों को ले जाते हुए देखा था । इस सूचना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों का नाम व पता बताते हुए प्रथम सूचना दी गई, जिसके बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत किया गया ।

8. वह पहली परिस्थिति जिस पर अभियोजन ने विश्वास किया है वह “अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति” है । कैलाशचंद्र अ. सा. 12 जो मृतक प्रेमचंद के संस्थान और घर के पड़ोस में दुकान चलाता है, मृतक प्रेमचंद का भाई है । उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि संबंधित तारीख को शाम को लगभग 06:00—06:30 बजे, जब वह अपनी दुकान के बाहर बैठा था, उसने अभियुक्त क्रमांक 1 मकरंद सिंह, अभियुक्त क्रमांक 2 राज बहादुर सिंह एवं अभियुक्त क्रमांक 3 श्यामसुन्दर को विद्युत उपकरण का थैला लेकर मृतक के घर के अंदर जाते हुए देखा । वह अभियुक्त क्रमांक 1 एवं 2 से परिचित था इसलिये उसने उनसे अपने आगमन के प्रयोजन के बारे में पूछताछ की, जिसका उन्होंने यह उत्तर दिया कि उन्हें मृतक प्रेमचंद के घर में बिजली मरम्मत का कुछ काम करने बुलाया गया था । उसने उनसे तीसरे व्यक्ति के बारे में भी पूछा, और उन्होंने उत्तर दिया था कि उसका नाम श्यामसुंदर था । उसने आगे शवों, एवं टूटी हुई खुली तिजोरी पाये जाने के संबंध में अ.सा. 26 के द्वारा दी गई साक्ष्य की पुष्टि की । उसने आगे बताया कि उसने शवों के मिलने के तुरंत बाद अ.सा. 26 एवं अन्य को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा घर के भीतर प्रवेश करने के बारे में बताया था ।

9. अभियोजन के प्रकरण का एक अन्य प्रमुख साक्षी विनोद कुमार जैन अ. सा. 20 है, जो कि मृतक प्रेमचंद का भतीजा है । उसने यह बयान दिया कि 4 जनवरी 2003 को रात लगभग 09:00 बजे जब वह अपने दुकान से घर लौट रहा था, जो कि पास में ही है, उसने तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक के घर से बाहर आते हुए देखा था, और अभियुक्त क्रमांक 1 मकरंद सिंह एवं अभियुक्त क्रमांक 2 राज बहादुर सिंह प्रत्येक एक—एक थैला लेकर धन्वन्ती बाई धर्मशाला की ओर तेजी से चल रहे थे । उसने आगे, शवों को पाये जाने एवं लूट के बारे में जानने के बारे में अ.सा. 26 के कथनों का समर्थन किया । उसने आगे यह भी कहा कि उसने अ. सा. 26 सहित घटना स्थल पर एकत्र लोगों से बीती रात को उसके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक के घर से बाहर आते हुए देखे जाने की चर्चा की थी ।

10. अन्वेषण अधिकारी के. डी. सोनकिया ने विचारण न्यायालय के समक्ष अ. सा. 35 के रूप में बयान दिया था। वह घटनास्थल पर प्रारंभ से लेकर अन्वेषण पूर्ण होने तक उपस्थित रहा था।
11. अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दूसरी अभिशंसी परिस्थिति उनके बयानों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अपराध का कारित किया जाना स्वीकार किया है और अपने अपने घरों में विभिन्न स्थानों पर छिपाये गये चोरी किये गये सोने एवं चाँदी के जेवर एवं नगदी को बरामद कराया है। अभियुक्त क्रमांक 1 की निशानदेही पर उसके कब्जे से एक देशी कटट् भी जब्त किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों की निशानदेही पर जो अन्य अभिशंसी सामग्री जब्त की गई है में, क्रमशः अभियुक्त क्रमांक 2 एवं अभियुक्त क्रमांक 1 की निशानदेही पर जब्त रक्त के धब्बे लगे हुए अभियुक्त के कपड़े एवं रक्त के धब्बे लगे हुए हथियार सूजा एवं छेनी शामिल है। अभियुक्त क्रमांक 1 के कथनों के आधार पर उसके घर के बाजू में खाली जमीन से उस ताले की चाबी को भी जब्त की गई जिसका उपयोग अपराध कारित करने के पश्चात् घर के बाहर ताला लगाने में हुआ था।

आशीष जैन अ. सा. 26 घटना से संबंधित सभी वस्तुओं की बरामदगी का साक्षी है।

12. तीनों शवों का शव परीक्षण तीन चिकित्सकों के समूह द्वारा किया गया था, जिनमें से चिकित्सक रेनू शर्मा अ. सा. 21 एवं चिकित्सक यू.पी.एस. कुशवाह अ. सा. 22 विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षित किये गये थे। शव परीक्षा रिपोर्ट के अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि प्रथम मृतक प्रेमचंद के शरीर पर पाँच घाव थे, जो कि समस्त कटे हुए घाव थे। द्वितीय मृतक आनंदी देवी के शरीर पर भी पाँच कटे हुए घाव पाये गये थे। तृतीय मृतक प्रीति के शरीर पर तीन कटे हुए घाव, एक छिन्न घाव एवं एक अंदरूनी चोट पायी गयी। उक्त सभी चोटें प्रकृति में मृत्युपूर्व की थीं एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थीं। सभी मृतकों की मृत्यु के बारे में यह मत दिया गया था कि मृत्यु रक्तस्राव के कारण हुए सदमे से हुई, मृत्यु का समय, शव परीक्षण के पूर्व 12 से 24 घण्टे के बीच अर्थात् 04 जनवरी के दोपहर 12:00 बजे से 05 जनवरी के दोपहर 12:00 बजे के बीच था। चिकित्सक अ. सा. 22 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि मृतक को एक चोट सख्त एवं धारदार हथियार द्वारा पहुँचाई गई थी, एवं अन्य चोटें सख्त एवं बोथरे हथियार द्वारा पहुँचाई गई थीं।
13. पुलिस द्वारा मृतक प्रेमचंद के हाथ में कुछ बाल पकड़े होना पाया गया, जिन्हें लिया गया एवं जब्त किये गये रक्त के धब्बे लगे कपड़े, घटनास्थल के फर्श से बरामद हथियारों एवं रक्त के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। इन नमूनों के साथ अभियुक्त क्रमांक 1 एवं 2 के बालों के नमूने भी परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये। विधि विज्ञान

प्रयोगशाला ने पाया कि मृतक के हाथ से बरामद किये गये बाल की प्रकृति अभियुक्त क्रमांक 1 एवं 2 दोनों के बालों के नमूनों के समान थी (किन्तु फिर भी परिणाम अनिर्णायक थे) और यह कि कपड़े एवं हथियारों में पाये गये रक्त के निशानों को मानव रक्त के रूप में पहचाना गया । उन निशानों का रक्त समूह “ओ” होना पाया गया था, जिन्हें पहचाना गया था । पुलिस ने घटनास्थल से चाय की जो गिलासों जप्त की थीं उन पर मौजूद अंगुलियों के निशान जब्त किये व उन्हें भी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा । अभियुक्त व्यक्तियों की अंगुलियों के निशानों के नमूनों को भी उनके साथ पहचान करने के लिये भेजा । अंगुली छाप विशेषज्ञ ने अभिमत दिया कि चाय के गिलासों के कुछ छाप एवं अभियुक्त क्रमांक 1 मकरंद सिंह के अंगुली छाप के मध्य समानता थी ।

14. अपीलार्थी-परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति का पुरजोर विरोध किया है । उसने न्यायालय का ध्यान अभिलेख के साक्ष्य की ओर दिलाया और निवेदन किया कि लूटे गये सामान की बरामदगी स्वयं में दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार होना चाहिये, यद्यपि इसे अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है । उसने आगे यह तर्क किया कि उच्च न्यायालय ने बहुमत से, अन्वेषण में आई हुई छोटी खामियों को अनुचित महत्व देने में त्रुटि की है, जिससे न्याय प्रभावित हुआ है । उसने यह भी तर्क किया कि अभियुक्त व्यक्तियों की निशानदेही पर चोरी किये गये जेवरों एवं नगदी की उनके कब्जे से बरामदगी के साक्ष्य के साथ अंतिम बार देखे गये अ. सा. 12 एवं अ.सा. 20 की साक्ष्य को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिये । उसने, प्रथम अभियुक्त की निशानदेही पर अपराध कारित करने के पश्चात् घर को बाहर से ताला लगाने में प्रयुक्त की गई चाबी की बरामदगी पर विश्वास व्यक्त किया, और कहा कि इसकी बरामदगी उक्त अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चायक सबूत है । उसने यह भी तर्क दिया कि जप्ती के प्रकाश में अभियुक्त के कपड़ों पर “ओ” समूह के रक्त के पाए जाने से एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है, अर्थात्, अभियुक्त का अपराध, क्योंकि मृतक व्यक्तियों का रक्त समूह भी यही था । यद्यपि उसने स्वीकार किया है कि अंगुलीछाप परीक्षण प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और बाल नमूना जाँच प्रतिवेदन अनिश्चायक थी ।
15. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भी एक अपील प्रस्तुत की गई है । राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, परिवादी अधिवक्ता के दोषमुक्ति का विरोध करने वाले तर्कों को अंगीकार करते हुए, निवेदन किया है कि अभिलेख के परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जो कि पूर्ण रूप से साबित हैं, अभियुक्त को केवल दोषसिद्ध करते हैं ।
16. हमारे द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को अभियुक्त प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया क्योंकि उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं

हुआ । प्रत्यर्थागण के लिये तर्क के संबंध में एक न्यायमित्र हमें सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया था । उसने, अभियुक्त व्यक्तियों को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करने में उच्च न्यायालय द्वारा बहुमत से लिये गये दृष्टिकोण का समर्थन किया है । उसने तर्क किया कि गिरफ्तारी एवं अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा की गई अभिकथित बरामदगी से संबंधित साक्ष्य में विसंगतियाँ हैं । विद्वान न्यायमित्र ने यह भी कहा कि बरामदगी के गवाहों, जो कि सभी, मृतक के रिश्तेदार हैं, में से मात्र अ. सा. 26 को ही परीक्षित किया गया है । अन्य गवाहों विशेषकर कोई बहादुर यादव (एक मात्र स्वतंत्र गवाह), प्रेमचंद का नौकर, जिसने अभिकथित रूप से बंधकदारों द्वारा बरामद जेवरों की शिनाख्तगी में पुलिस की मदद की थी, जिसे अभियोजन प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण बताया गया था, का परीक्षण नहीं किया जाना । उसने आगे तर्क किया कि बंधकदारों द्वारा जेवरों की शिनाख्तगी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और पुलिस ने जेवरों की शिनाख्तगी में सक्रिय रुची ली थी, जो कि संदेहास्पद थी । अंत में, उसने कथन किया कि अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति साबित नहीं की गई थी ।

17. ऐसी स्थिति में जहाँ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है, वहाँ अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है, उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति से निर्दोषिता की प्रारंभिक उपधारणा सुदृढ़ होती है । इस प्रकार की स्थिति में, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगी कि दोषमुक्ति के आदेश द्वारा अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा को दृढ़ किया गया है और इस प्रकार यदि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण युक्तियुक्त है एवं अभिलेख की सामग्री पर आधारित है, तब इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । हस्तक्षेप उसी स्थिति में किया जाना होगा जब ऐसा करने के लिये बाध्यकारी एवं सारवान कारण हो, और यदि उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष, न्याय की असफलता को सारभूत रूप से गठित करते हुए पूरी तरह से गलत हो । इसके अतिरिक्त, हस्तक्षेप तब भी किया जा सकता है जब विधि की गलत धारणा अथवा साक्ष्य का त्रुटिपूर्ण परिशीलन हो अथवा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को उल्टा करने में स्वयं को पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित कर लिया है । (देखे राजस्थान राज्य विरुद्ध इस्लाम एवं अन्य (2011) 6 एस.सी.सी. 343, उत्तरप्रदेश राज्य विरुद्ध अवधेश (2008) 16 एस.सी.सी. 238 एवं राज्य (दिल्ली प्रशासन) विरुद्ध लक्ष्मन कुमार एवं अन्य (1985) 4 एस.सी.सी. 476) ।

18. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वर्तमान प्रकरण प्राथमिक रूप से दो मुख्य पहलुओं पर टिका है, जो कि अंतिम बार देखे जाने वाले साक्ष्य एवं चुराई गई सम्पत्ति की बरामदगी है ।

अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 अंतिम बार देखे जाने के गवाह हैं जिन्होंने क्रमशः घटनास्थल से अभियुक्त व्यक्तियों के प्रवेश एवं निकास को देखा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया कि शव मिलने के तुरंत बाद उन्होंने आपस में अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी की चर्चा की थी, जो कि इस तथ्य पर आधारित थी कि अ. सा. 12 ने उन्हें पूर्ववर्ती दिन पर लगभग शाम के 06:30 बजे मृतक के घर में प्रवेश करते देखा, एवं यह कि अ. सा. 20 ने रात के लगभग 09:00–09:30 बजे उन्हें घर से बाहर निकलते एवं जल्दबाजी में इलाका छोड़ते हुए देखा। इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी के भाग से परिवादी अ. सा. 26 को उसके द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करने के ठीक पहले अवगत कराया था। हालांकि, प्रथम सूचना, प्रदर्श पी5 में कहीं भी इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य का जरा सा भी उल्लेख नहीं है, और न ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रदर्श पी. 6 इससे उत्पन्न हुई है। इन दस्तावेजों में केवल इतना ही कहा गया है कि यह संदेह था कि आरोपियों ने उक्त घटना को कारित किया होगा क्योंकि घटना की रात को लगभग 09:00 बजे वे मृतक प्रेमचंद के घर के आस पास घूमते हुए देखे गये थे। अ. सा. 26 ने यह भी कहा है कि उक्त साक्षियों एवं उसके मध्य की मौखिक बातचीत से उसे अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में पता चला। यदि अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 ने वास्तव में अभियुक्तों को देखा होता, जैसा कथन किया है, तो उक्त तथ्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन में प्रकट होता, एवं सूचना के ऐसे महत्वपूर्ण भाग की अनुपस्थिति जो कि अ. सा. 26 ने प्रथम सूचना संस्थित करने के ठीक पहले जाना, अंतिम बार देखे जाने के साक्षियों की गवाही पर संदेह की काली छाया डालती है। इसके अतिरिक्त अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 ने कथन किया है कि जब शव पाये गये थे तब वे मौके पर उपस्थित थे। हालांकि, पुलिस द्वारा उनके कथन उसी दिन नहीं लिये गये थे, बल्कि बाद में अगले दिन लिये गये थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 द्वारा कथित अंतिम बार देखे जाने की परिस्थितियों का विवरण प्रथम सूचना में नहीं है (यद्यपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व सूचनाकर्ता, अ. सा. 26 को इसके बारे में अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 के द्वारा अवगत किया गया था), हम लोगों की राय है कि अ. सा. 12 एवं अ. सा. 20 ने अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक के घर में प्रवेश करते अथवा बाहर निकलते हुए नहीं देखा, जैसा कि अभियोजन द्वारा बताना चाहा गया है। इसके अतिरिक्त, अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति के संबंध में इन महत्वपूर्ण साक्षियों का कथन अभिलेखित करने में जानबूझकर देरी हुई थी। इसलिये, अ. सा. 12 और अ. सा. 20 के कथन स्पष्ट रूप से पश्च विचार थे।

19. उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि अ.सा. 20 एक हमराह गवाह है, तथा हम यह पाते हैं कि ऐसा सही निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा. 20 के कथन में विसंगतियाँ तथा विरोधाभास है, क्योंकि केवल उसके ही बयान में इस तथ्य के साथ कि

वह आमतौर पर मृतक के घर/दुकान के सामने वाला मार्ग का अपने दुकान से घर जाने के लिए प्रयोग नहीं करता था, उसने आरोपी को उस क्षेत्र से जल्दबाजी में निकल कर धनवंती बाई धर्मशाला की ओर जाने के विपरीत, मृतक के घर से निकलते हुए देखने की बात पर बल दिया है । साथ ही, उसने स्वीकार किया कि उसे यह याद नहीं है कि कितने लोग बैग पकड़कर बाहर आए, तथा कितने लोग खाली हाथ बाहर आए, जो यह दर्शित करता है कि वह हमराह गवाह है । यह ध्यान में रखते हुए कि यह गवाह मृतक का संबंधी था, तथा महत्वपूर्ण विसंगतियों सहित वह एक हमराह गवाह प्रतीत होता है, हम अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति के अनुसार उसकी गवाही को अस्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हैं ।

20. परियादी अ.सा.26 द्वारा दी गयी प्रथम सूचना में आरोपियों के नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख है । गवाहों द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वे आरोपियों को, चूंकि वे बतौर विद्युत कारीगर, मृतक के घर अक्सर आते थे, पहचानते थे। इसी के आधार पर तथा अ.सा. 26 के कथन द्वारा पुष्टि होने पर पुलिस द्वारा आरोपियों को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था । अन्वेषण अधिकारी अ.सा.35 के.डी.सोनकिया के द्वारा कथन किया गया कि पुलिस, उसी रात को, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु उनकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर गयी । तथापि, अभिलेख पर आयी सामग्री से यह दर्शित होता है कि गिरफ्तारी दूसरे दिन सुबह 11:00 से 11:30 के बीच ही की गयी, वो भी आरोपियों के ही घर से, जो कि, संयोगवश यह भी दर्शाता है कि आरोपी फरार नहीं थे, जो आरोपी की ओर से एक अस्वाभाविक आचरण है, जो यह जानता है कि अपराध के दिन उसे मृतक के घर में प्रवेश करते हुए देखा गया है । चाहे जो भी स्थिति हो, आरोपियों के ठिकाने की स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी में देरी अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाती है ।

21 जहाँ तक अभियुक्त की निशानदेही पर अभिशंसी सामग्री की जब्ती का संबंध है, अन्वेषण अधिकारी अ.सा.35 के.डी. सोनकिया ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आरोपियों की सभी संस्वीकृतियाँ उनकी पूछताछ के बाद की गयी, परंतु पूछताछ का यह तरीका सामान्य प्रकृति का प्रतीत नहीं होता, जहाँ तक उन्होंने स्वयं यह कथन किया है कि आरोपी व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गयी तथा संस्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व कई बार पूछताछ हुयी जिससे गहनें, नकदी, हथियार तथा चाबी की जब्ती हुयी । तथ्यों तथा परिस्थितियों की समग्रता से हम पाते हैं कि संस्वीकृतियाँ, जिनसे अभिशंसी सामग्री की जब्ती हुयी, स्वैच्छिक नहीं थी, बल्कि उत्पीड़न, दबाव अथवा जबरदस्ती से कारित थी । एक बार जब अभियुक्त की तथ्यों पर संस्वीकृति अस्वैच्छिक पायी जाती है, तब वह

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) से टकराते हुए ऐसी संस्वीकृति को अस्वीकार्य बना देता है। आत्म अभिशंसी साक्ष्य की स्वीकृति पर प्रतिषेध है, परंतु यदि वह अपराध से संबंधित सारवान सामग्री की जब्ती की ओर ले जाता है, तो यह अक्सर प्रत्येक मामले की परिस्थितिनुसार साक्ष्यिक मूल्य धारण करने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऐसा कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा कारित अनुचित दबाव तथा बाध्यता के अधीन किया जाता है, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, तब ऐसे कथन का साक्ष्यिक मूल्य, जो जब्ती की ओर ले जाए, शून्य है। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तथा संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के मध्य संबंध से संबंधित सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, (2010)7 SCC 263 में इस न्यायालय की टिप्पणी को पुनः प्रस्तुत करना उल्लेखनीय है:—

“102, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है, “आत्म—अभिशंसा के विरुद्ध अधिकार” दंड प्रक्रिया में एक आवश्यक बचाव के रूप में देखा जाता है। इसका अंतर्निहित तर्क व्यापक रूप से दो उद्देश्यों के साथ मेल खाता है—पहला, किसी अभियुक्त द्वारा किए गए कथनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का तथा दूसरा, यह कि ऐसे कथन स्वेच्छा से दिए गए हैं। ऐसा पूर्णरूप से संभव है कि किसी अपराध के संदेही व्यक्ति अथवा अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान प्रपीड़न, धमकी अथवा प्रलोभन जैसे तरीकों के माध्यम से गवाही देने के लिए विवश किया गया हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही देने के लिए विवश किया जाता है तो ऐसी गवाही के झूठे होने की संभावना अधिक होती है। झूठी गवाही अवांछनीय है क्योंकि वह विचारण की अखंडता एवम् पश्चात्पूर्ती निर्णय को बाधित करती है। अतः ‘अनैच्छिक संस्वीकृति के विरुद्ध नियम’, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विचारण के दौरान मान्य की गयी गवाही विश्वसनीय है। इस का आधार यह है कि अनैच्छिक कथनों द्वारा न्यायाधीश तथा अभियोजक के गुमराह होने की अधिक संभावना है, जिसका परिणाम न्याय की विफलता है। अन्वेषण के दौरान भी झूठे कथन अन्वेषण के प्रयत्नों में विलंब एवं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

103. कथनों की “स्वैच्छिकता” का चिंतन इस अधिकार के अधिक व्यापक वर्णन की अनुमति देता है। यदि विचारण के दौरान अनैच्छिक कथनों को सहज रूप से महत्व दिया जाता तो अन्वेषणकर्ताओं को प्रायः प्रपीड़न, धमकी, प्रलोभन अथवा प्रवचना के माध्यम से ऐसे कथनों को बाध्य करने हेतु प्रबल प्रोत्साहन मिलता। यदि ऐसे अनैच्छिक कथनों को सत्य भी प्रमाणित किया जाता है, तो विधि द्वारा पूछताछ की ऐसी युक्तियों के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जो, उस व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जा रहा

है, की गरिमा तथा शारीरिक अखंडता को भंग करें । इस अर्थ में, 'आत्मअभिशांसा के विरुद्ध अधिकार' यातना तथा अन्य थर्ड-डिग्री तरीके, जो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बचाव है । यह अन्वेषण के दौरान पुलिस के व्यवहार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है । बाध्यकारी गवाही का अपवर्जन महत्वपूर्ण है अन्यथा अन्वेषणकर्ता ऐसी बाध्यता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के प्रति सामान्य तौर पर प्रवृत्त होंगे। ऐसे सरल उपायों पर निरंतर निर्भरता सार्थक अन्वेषण करने के लिए आवश्यक तत्परता से समझौता करेगी । विचारण के दौरान प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर होता है तथा 'आत्म-अभिशांसा के विरुद्ध अधिकार' यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन उक्त भार का निर्वहन करता है, एक महत्वपूर्ण बचाव है ।

.....

133. हमने पूर्व में ही दं.प्र.सं की धारा 161 में प्रयुक्त भाषा का संदर्भ लिया है जो अभियुक्तों के साथ-साथ संदिग्धों तथा साक्षियों, जिनका परीक्षण किसी भी दांडिक प्रकरण के अन्वेषण के दौरान किया जाता है, को संरक्षण प्रदान करती है । दं.प्र.सं की धारा 162, 163, 164 का संदर्भ लेना भी उपयोगी होगा जिनमें अन्वेषण के दौरान व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथनों के संबंध में प्रक्रियात्मक बचाव निर्धारित किए गए हैं । यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में "पश्चात्तर्वर्ती तथ्यों की पुष्टि का सिद्धांत" सम्मिलित है , अर्थात् निरोध में किए गए कथन उस हद तक स्वीकार्य हैं, जहाँ तक तथ्यों की पश्चात्तर्वर्ती खोज से उन्हें साबित किया जा सके। यह पूर्ण रूप से संभव है कि निरोध में किए गए कथनों की अंतर्वस्तु सुसंगत तथ्यों की स्वतंत्र साधनों के माध्यम से खोज करने के बजाय सीधे उनकी पश्चात्तर्वर्ती खोज की ओर ले जाएगी । अतः ऐसे कथनों को उन कथनों के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो सफल अभियोजन के लिए आवश्यक 'साक्ष्य की श्रृंखला की कड़ी' प्रस्तुत करते हैं । यह उपबंध निम्नानुसार है :-

"27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी:- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी ।"

134. यह उपबंध घटना के सामान्य प्रक्रम में निरोध में किए गए कथनों के व्युत्पन्न प्रयोग की अनुमति देता है । भारतीय विधि में ऐसी कोई स्वयमेव उपधारणा नहीं है कि निरोध में किए गए कथन बाध्यता के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं । संक्षिप्त में, मिरांडा (16 L Ed 2d 694:384 US 436 (1965)) चेतावनी के प्रबंधन के सदृश अतिरिक्त तत्परता की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि उन परिस्थितियों में जहाँ यह दर्शाया गया है कि किसी व्यक्ति को निरोध के दौरान कथन करने के लिए वास्तव में बाध्य किया गया, ऐसी गवाही पर विश्वास करने के साथ-साथ उसका व्युत्पन्न उपयोग अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करेगा ।

135. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 एवं संविधान के अनुच्छेद 20(3) के मध्य संबंध को काठी कालू ओघड (AIR 1961 SC 1808 :(1961) 2 कि.लॉ जन. 856:;(1962)3 SCR 10) में स्पष्ट किया गया । SCR PP 33-34(AIR PP,1815-16, कंडिका 13) में न्यायमूर्ति जगन्नाथ दास द्वारा बहुमत की राय में यह माना गया कि :-

“13..... किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गयी ऐसी सूचना किसी ऐसे तथ्य की खोज की ओर अग्रसर करती हो, जो अभिशंसी साबित हो अथवा ना हो, को उस धारा के द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है । यदि यह सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए अभिशंसी ना हो, तो ऐसा, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जहाँ तक सूचनाकर्ता का संबंध है, ऐसा प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकता है, जब वह अभिशंसी स्वरूप का हो । यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आत्म-अभिशंसी सूचना बिना किसी धमकी के दी गयी है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होगी, तथा उस कारण से कि कोई बाध्यता नहीं है , वह संविधान के अनुच्छेद 20 के उपखंड (3) के प्रावधान से नहीं टकराएगी । अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान उपरोक्त निषेध के अंतर्गत नहीं हैं जब तक कि सूचना प्राप्त करने में बाध्यता को प्रयोग किया गया हो ।

(जोर दिया गया)

22. हमारा यह मत है कि प्रस्तुत मामलों में चुराए गए गहने इत्यादि की जब्ती अनैच्छिक कथन के आधार पर की गयी थी, जो ऐसी जब्ती के आधार पर अभिशंसी परिस्थिति को प्रभावी रूप से नकारता है, तथा अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है ।

23. इसके अलावा, अभियोजन द्वारा कई गवाह परीक्षित किए गए जो उक्त गहनों के गिरवीकर्ता होना अभिकथित थे, जिन्होंने नायब तहसीलदार द्वारा कारित शिनाख्तगी कार्यवाही में अपने गहनों की शिनाख्त की । यह ये साबित करने के लिए था कि जब्त गहनों वास्तव में वो गहने थे जो मृतक प्रेमचंद के घर से लूटे गए थे तथा बाद में आरोपियों से जब्त हुए थे । हम विद्वान न्याय मित्र के तर्क में सार पाते हैं कि शिनाख्तगी उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गयी थी । कई परीक्षित बंधनकर्ता, जैसे अभियोजन साक्षी क्र. 15,16, तथा 28 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शिनाख्तगी कार्यवाही जब्त गहनों में वैसे ही समान गहनों मिलाकर नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त मृतक प्रेमचंद द्वारा अपने व्यवसाय के लिए बनाए गए बही खातों को छोड़कर, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे गिरवीकर्ता की पहचान दर्शित हो तथा यह साबित हो कि पहचाने गए गहनों उनके द्वारा मृतक प्रेमचंद के पास गिरवी रखे गए थे, परन्तु इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । क्योंकि ये बही खाते पुलिस द्वारा मृतक के दामाद अ.सा.11 शैलेन्द्र कुमार जैन के कब्जे से जब्त किए गए थे । संयोग से, वह भी अन्य शहर में पणयम दलाल के रूप में इसी तरह के पैसे उधार देने का व्यवसाय चलाता है । मृतक प्रेमचंद के अभिकथित बही-खाते की उसके दामाद के कब्जे से जब्ती का कोई मान्य कारण स्वीकृत नहीं है । इसके अतिरिक्त, यह बही-खाते उन्हें उसे लौटाने की किसी प्रार्थना के बिना तथा बिना कोई नियत प्रक्रिया अपनाए लौटा दिए गए थे । बाद में, यह पाया गया कि घटना दिनांक के पश्चात् बही खाते में अतिरिक्त प्रविष्टियाँ की गयी थी। इसके अतिरिक्त किसी भी गवाह ने बही-खाते में उनसे संबंधित विशेष प्रविष्टि के बारे में बात नहीं की है । बही खातों में किसी भी साक्षी का कोई भी हस्ताक्षर पहचाना तथा अंकित नहीं किया गया । दूसरे शब्दों में, किसी भी साक्षी ने अपने स्वर्ण/चांदी की वस्तुओं के संबंध में बही खाते में सुसंगत प्रविष्टि के संबंध में गवाही नहीं दी है । ऊपर चर्चित सभी बिंदु, इस तथ्य के साथ मिलकर कि आभूषणों की पहचान के संबंध में अन्वेषण अधिकारी ने कृत्रिम और मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत की है, जो कि आभूषणों की जब्ती के साथ-साथ विभिन्न गिरवीकर्ता की पहचान के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। अतः विद्वान न्याय मित्र का यह तर्क न्यायोचित हो सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि जब्ती का पहलू केवल अभियोजन पक्ष के उद्देश्य की उपयुक्तता के लिए बनायी गयी एक मनगढ़ंत कहानी है ।
24. अ.सा. 26 आशीष जैन तथा एक संजीव जैन उन जब्तियों के साक्षी हैं जो अभियुक्त के कहने पर की गयी थी। दोनों मृतक के निकट संबंधी हैं । संजीव जैन का परीक्षण नहीं किया गया है। इसी तरह, एक बहादुर यादव का भी परीक्षण नहीं किया गया है जो

मृतक प्रेमचंद का नौकर था जिसने जब्त सामग्री की पहचान के लिए बुलाने हेतु गिरवीकर्ताओं को ढूंढने के लिए उनके संबंध में जानकारी देकर पुलिस की अभिकथित रूप से सहायता की थी । जब्तियों के परिप्रेक्ष्य में इन दो महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण ना किया जाना अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

25. अभियुक्त के कहने पर रक्त के धब्बे लगे हुए हथियारों की जब्ती वह अन्य परिस्थिति है जिसका अभियुक्तों के दोष की ओर इशारा करने के लिए तर्क दिया गया है । आरोपी क्रं. 2 तथा आरोपी क्रं.1 के कहने पर उनके घरों से क्रमशः एक नुकीला सूजा तथा एक छेनी बरामद की गयी थी। यद्यपि, अभियोजन ने यह स्थापित नहीं किया है कि यहीं वे हथियार थे जो अपराध कारित करने में उपयोग किए गए थे। चिकित्सकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि मृतकों के शरीर पर पायी गयी चोटें जब्त किए गए हथियारों से कारित नहीं की जा सकती थी तथा प्रस्तुत चोटों को जब्त हथियारों से कारित किए जाने की संभावना अत्यंत क्षुण है क्योंकि एक चोट को छोड़कर सभी चोटें सख्त एवं भोथरे वस्तु से कारित विदीर्ण घाव थे ।

अभियुक्तगणों के कहने पर उनके घरों से उनके रक्त के धब्बे लगे हुए कपड़े भी जब्त किए गए थे। तथापि इस तथ्य के प्रकाश में कि उक्त जब्ती तथा अभियुक्तगणों के घरों से चोरी की गई वस्तुओं की जब्ती, जिनकी अन्वेषण अधिकारी द्वारा पूर्व में सघनता से तलाशी ली गई थी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दो दिन पश्चात की गई थी जिससे उक्त जब्ती की सत्यता संदेहास्पद हो जाती है । अभियुक्त क्रं.3 श्याम सुंदर के एक कमरे के मकान के अंदर लगे हुक से लटके हुए कपड़े जब्त किए गए जिसकी भी पूर्व में तलाशी ली जा चुकी थी तथा जहाँ से पूर्व में आभूषण भी जप्त किए गए थे। यह सभी प्रत्यक्ष दुर्बलताएँ हमारे मानस में अभियुक्त के दोष के संबंध में संदेह के सिवाय कुछ उत्पन्न नहीं कर रहीं है ।

26. रक्त के धब्बे लगी हुई सभी वस्तुएँ (हथियार, मृतकों के कपड़े तथा मौके की फर्श तथा टाईल्स जहाँ शव पाए गए थे सहित) परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए, तथापि प्रतिवेदन किसी भी रूप में अभियोजन के मामले में सहायक नहीं है । रक्त के धब्बे मानव रक्त के पाए गए, तथापि केवल अभियुक्त क्रं. 2 एवं अभियुक्त क्रं. 3 के कपड़ों पर पाए गए दाग 'O' रक्त समूह के थे । बचे हुए धब्बों की पहचान पर अनिर्णायक राय दी गई। यद्यपि यह तर्क दिया गया है कि मृतकों का रक्त समूह 'O' है परन्तु उक्त को सिद्ध करने के लिए कुछ भी निर्णायक नहीं है । अतः रक्त के धब्बे

लगे हुए हथियार तथा अभियुक्तों के कपड़ों की जब्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता ।

27. एक अन्य अभिशंसी कारक, जैसा फरियादी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, यह है कि अपराध स्थल में पाये गए चाय के गिलासों में अभियुक्त क्रमांक 1 के अंगुलि छाप पाए गए थे। हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि अभियुक्तों के अंगुलि छाप के नमूने (गिलासों पर पाए गए अंगुलि छाप से तुलना करने के लिए उपयोग किए गए) अवैध रूप से प्राप्त किए गए, जो बंदी अभिज्ञान अधिनियम 1920 का उल्लंघन है, जहाँ तक कि वे बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के प्राप्त किए गए थे । महत्वपूर्ण रूप से धारा 4 पुलिस अधिकारी की माप लेने जिसमें अंगुलि छाप सम्मिलित हैं के लिए निर्देश देने की शक्ति की ओर निर्दिष्ट करती है :-

“4. असिद्धदोष व्यक्तियों का माप इत्यादि लेना — कोई भी व्यक्ति जिसे एक वर्ष या उससे अधिक के सश्रम कारावास से दण्डनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है यदि पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, तो विहित रीति से अपना माप देगा ।”

इस अधिनियम की धारा 5 मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन, यदि मजिस्ट्रेट उसकी समीचीनता से संतुष्ट हो तो, ऐसे नमूने लेने का उपबंध करती है ।

“5. किसी व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की ‘शक्ति— यदि कोई मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) के अंतर्गत किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को अपना नाप और फोटोग्राफ देने के लिए निर्देशित करना समीचीन हो तो, वह उक्त आशय का आदेश दे सकता है, और उक्त स्थिति में वह व्यक्ति जिससे आदेश संबंधित है, को पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा अथवा आदेश में निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होगा तथा अपने माप तथा फोटोग्राफ लेने देगा, जैसी भी स्थिति हो,

परन्तु कि किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सिवाय किसी व्यक्ति की फोटोग्राफ लेने के लिए निर्देशित करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण अथवा कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो, तथापि जैसे कि इस न्यायालय द्वारा सोनवीर बनाम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली राज्य, (2018) 8 SCC 24, में हाल ही में पुष्टि की गई है कि धारा 5 आदेशात्मक नहीं परन्तु निर्देशात्मक है एवं नमूना लेने की सदाशयता की पुष्टि करती है तथा साक्ष्य की विरचना की संभावना को खत्म करती है । न्यायालय ने इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इस बिन्दु पर इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य, (1978) 3 SCC 435 में दिए गए निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों का अवलंब लिया है । मोहम्मद अमान बनाम राजस्थान राज्य (1997) 10 SCC 44 में न्यायालय के निर्णय पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने कंडिका 60–62 में निम्नानुसार पाया है :—

60. इस न्यायालय ने माना कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा कि परीक्षण के लिए ब्यूरो पहुँचने के पूर्व जब्त वस्तुओं से न तो छेड़छाड़ की गई ना की जा सकती थी । आगे कंडिका 8 में निम्नानुसार कहा गया : (मोहम्मद अमान का मामला)(मोहम्मद अमान बनाम राजस्थान राज्य (1997) 10 SCC 44 : 1997 SCC (आप.) 777), SCC पृष्ठ 49)

“8 उपरोक्त लुप्त कड़ी एवं उससे परिवर्ती संदेहजनक परिस्थितियों के अतिरिक्त एक अन्य परिस्थिति है जो साक्ष्य की यथार्थता पर घोर अविश्वास उत्पन्न करती है । यद्यपि ब्यूरो के आदेश पर मोहम्मद अमान के अंगुलि छाप के नमूने विभिन्न अवसरों पर लिए जाने थे, परन्तु बंदी अभिज्ञान अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नमूने मजिस्ट्रेट के समक्ष या उनके आदेश के अधीन कभी नहीं लिये गए । यह सत्य है कि उसकी धारा 4 के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त के अंगुलि छाप लेने के लिए सक्षम है परन्तु उसकी सदाशयता से संदेह दूर करने अथवा साक्ष्य विरचित करने की संभावना को खत्म करने के लिए यह अत्यंत रूप से वांछनीय था कि वे मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा उनके आदेश के अधीन लिये जाते” ।

(जोर दिया गया)

61. यद्यपि उपरोक्त अवलोकन स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि धारा 4 के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त के अंगुलि छाप लेने के लिए सक्षम है परन्तु उसकी सदाशयता से संदेह दूर करने अथवा साक्ष्य विरचित करने की

संभावना को खत्म करने के लिए यह अत्यंत रूप से वाछंनीय था कि वे मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा उनके आदेश के अधीन लिये जाते ।”

62. इस अवलोकन का मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 के अंतर्गत जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश न ले लिया जाए, पुलिस अधिकारी अंगुलि छाप लेने के हकदार नहीं हैं । यह टिप्पणियाँ की गई कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए अंगुलि छाप मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा उनके आदेश के अधीन लिया जाना वाछंनीय है.....”

(जोर दिया गया)

यहाँ तक कि बंदी अभिज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव में लाने के उद्देश्य के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के पालन में नियम बनाये हैं । इस मामले से संबंधित नियम 3, 4 एवं 5 हैं, जो कि नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-

“3. फोटो अथवा माप लेना — प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 3 या 4 के अधीन फोटो या माप लिया जाना अपेक्षित हो, किसी पुलिस अधिकारी के निर्देशों के अधीन फोटो या माप लेने देगा ।

4. ऐसे स्थान जहाँ माप और फोटो लिए जा सकते हैं — (1) माप और फोटोग्राफ निम्नलिखित स्थानों में लिए जा सकते हैं :-

(अ) जेल में, बशर्ते कि वह व्यक्ति, जिसका फोटो या माप लिया जाना हो, जेल में हो,

(ब) थाने पर या किसी भी अन्य ऐसे स्थान पर जहाँ पुलिस अधिकारी नाम या फोटो लिए जाने का निर्देश दे, बशर्ते कि वह व्यक्ति, जिसका फोटो या माप लिये जाना हो पुलिस अभिरक्षा में हो ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसका फोटो या माप लिया जाना हो, अपने माप या फोटो लिए जाने के पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया हो या यदि वह पुलिस अभिरक्षा में न हो तो वह पुलिस थाने (पुलिस स्टेशन) के प्रभारी अधिकारी से लिखित रूप में आदेश प्राप्त होने पर अपने माप या फोटो लिए जाने के प्रयोजन से ऐसे आदेश में उल्लिखित स्थान पर, उसमें उल्लिखित तारीख और समय पर, उपस्थित होगा ।

5. माप कैसे लिए जाएंगे — (1) पूरे शरीर का या शरीर के किसी भाग का माप लिया जा सकता है ।

(2) महिला का माप किसी अन्य महिला द्वारा शिष्टता का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए लिया जाएगा ।

इन नियमों के पढ़ने से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि एक पुलिस अधिकारी को अभियुक्त के छायाचित्र एवं माप लेने की अनुमति है । पुलिस अधिकारी के निर्देशाधीन अंगुलि छाप लिए जा सकते हैं । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सोनवीर (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है कि, यद्यपि धारा 4 में उल्लेख है कि पुलिस अधिकारी अभियुक्त का माप लेने हेतु सक्षम है, किंतु इसकी सद्भाविकता के संदेह को दूर करने तथा साक्ष्य के गढ़ने को नियमबाह्य ठहराने के लिए, उनका मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन व उसके समक्ष लिया जाना उचित रूप से वांछनीय है । हालांकि, उपरोक्त अवलोकनों का यह आशय नहीं निकाला जा सकता कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 4 के अधीन अंगुलि छाप लेने हेतु पुलिस अधिकारी तब तक असमर्थ हैं जब तक मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त नहीं होता । यदि अंगुलि छाप लेने से संबंधित किसी विशिष्ट प्रकरण से कोई संदेहास्पद परिस्थितियों उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें दूर करने व ऐसी संदेहास्पद परिस्थितियों से बचने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना न्याय के हित में होगा । अतः प्रत्येक प्रकरण में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि अभियुक्त के अंगुलि छाप लेने के लिये मजिस्ट्रेट का कोई आदेश होना चाहिये ।

अतः प्राधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के अभाव मात्र से यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अंगुलि छाप का साक्ष्य अवैध रूप से लिया गया था ।

उसी समय हम पाते हैं कि, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश का अभाव अंगुलि छाप के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है, विशेष तौर से उन गिलासों की संवेष्टन एवं मुहरबंदी (पैकिंग एवं सीलींग) के संबंध में जिन पर अभिकथित रूप से अंगुलि छाप पाये गये थे, के अनुप्रमाणन साक्षी मृतक के पारिवारिक सदस्य होते हुए स्वतंत्र साक्षी नहीं थे । अतः हम अंगुलि छाप से छेड़छाड़ व उसे बाद में जोड़ने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते, एवं अंगुलि छाप की साक्ष्य को अलग कर देने में उच्च न्यायालय से सहमत हैं ।

28 यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पुलिस महानिदेशक शव मिलने के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, जो कि गवाहों जैसे कि अ.सा. 1 के कथनों से स्पष्ट है । चाय की तीन गिलासों और कुछ बिजली के उपकरणों को देखने पर पुलिस महानिदेशक ने अनुमान लगाया कि अपराध उन तीन व्यक्तियों द्वारा कारित किया गया होगा जो कि विद्युत कारीगर थे । पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा किये गए इस अनुमान से अन्वेषण की प्रक्रिया बाधित होने एवं अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की संभावना है । संपूर्ण

अन्वेषण एवं अभियोजन का प्रकरण पुलिस महानिदेशक द्वारा किये गये अनुमान के इर्दगिर्द गढ़ा जाना दिखता है और ऐसी परिस्थिति अभियोजन के प्रकरण की सहायता नहीं करती ।

29. उपर्युक्त चर्चा एवं इस न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के प्रकाश में, हम, उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति में कोई स्पष्ट कमी नहीं पाते हैं । दूसरी ओर, हम इसे तर्कपूर्ण पाते हैं, और इसलिये उच्च न्यायालय के मत को स्वीकार करते हैं । अपीलार्थी यह स्थापित करने में असफल हुए हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में त्रुटि की है । जब तक अपीलार्थीगण द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में कोई जबरदस्त अवैधता अथवा सारवान त्रुटि साबित नहीं की जाती, और जब तक दोषमुक्ति का निष्कर्ष परिस्थितियों एवं अभिलेख की सामग्री पर आधारित एक संभाव्य दृष्टिकोण है, तब तक यह न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करने हेतु बाध्य नहीं है । जब अभियोजन के प्रकरण के आधार पर अभियुक्त के दोष के संबंध में हमारे मस्तिष्क में कोई युक्तियुक्त संदेह अथवा शंका रहती है, आपराधिक न्याय की तुला अभियुक्त की दोषमुक्ति के पक्ष में झुकती है । ऐसे परिदृश्य में अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति को पुष्ट किया जाता है ।
30. इस मोड़ पर विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष रूप से न्यायमित्र के रूप में नियुक्त श्री वी. एन. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता की सक्षम सहायता के लिए हम सराहना करते हैं ।
31. अतः दांडिक अपील क्रमांक 1980—1981 / 2008 निरस्त की जाती हैं, एवं उच्च न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश एवं निर्णय को स्थिर रखा जाता है ।

न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना

न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागोदर.....

नई दिल्ली

जनवरी 14, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।